



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 01.12.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार व बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

कार्यवाही:-

आज दिनांक 30.11.2024 को थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अनिकेत तोमर पुत्र नरेन्द्र नि0 ग्राम हुसैनपुर कला थाना शिवालांकला जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 662/24 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनिकेत तोमर पुत्र नरेन्द्र नि0 ग्राम हुसैनपुर कला थाना शिवालांकला जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

02 अवैध तमंचे 315 बोर

आपराधिक इतिहास अनिकेत उपरोक्त-

1.मु0अं0सं0 662/24 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर बिजनौर

2.मु0अं0सं0 443/21 धारा 379/411 भादवि0 थाना चांदपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 यूटी श्री अरुण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.का0 585 सौरभ पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.का0 1604 अमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 01.12.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माह नवम्बर – 2024 में मा0 न्यायालय द्वारा 27 अभियोगों में 37 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप **माह नवम्बर – 2024** में जनपद बिजनौर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 27 अभियोगों में 37 अभियुक्तों को दण्डित किया गया, जिसमें से **एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। विवरण निम्नवत है।

दिनांक 01.11.2024 से दिनांक 30.11.2024 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण –

क्र0 सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा	सजा का दिनांक	अपराध शीर्षक	सजा का विवरण	अभि0 की सं0
1	धामपुर	423/15	323/34,504,506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट	07.11.24	जघन्य	03 वर्ष कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड	3
2	नूरपुर	344/20 22	363/366ए/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट	11.11.24	पोक्सो	10 वर्ष कारावास व 30 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
3	शिवाला कला	39/92	25 आर्म्स एक्ट	13.11.24	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 700 /- रु0 अर्थदण्ड	1
4	शिवाला कला	004/99	25 आर्म्स एक्ट	13.11.24	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500 /- रु0 अर्थदण्ड	1
5	नजीबाबाद	391/20 16	332/333/353/504/50 6 भादवि	13.11.24	जघन्य	03 वर्ष कारावास की सजा व 8,000 /- रु0 अर्थदण्ड	1
6	मण्डावर	307/20 15	354 (क) भादवि व 8 पोक्सो एक्ट	18.11.24	पोक्सो	05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
7	चांदपुर	708/19 89	147/323/149/336/42 7 भादवि	19.11.24	अन्य	अभियुक्तगणों को जेल में बिताई अवधि की सजा व 500 – 500 रु0 अर्थदण्ड	5

8	किरतपुर	257/20 19	8/20 एनडीपीएस एक्ट	20.11.24	जघन्य	01 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास एवं 2000 रु0 अर्थदण्ड	1
9	नगीना	562/20 04	25 आर्म्स एक्ट	21.11.24	अन्य	पूर्व में जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
10	नजीबाबाद	584/20 23	18/20 एनडीपीएस एक्ट	21.11.24	जघन्य	01 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास एवं 2000 रु0 अर्थदण्ड	1
11	कोतवाली देहात	55/202 3	302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट	21.11.24	जघन्य	आजीवन कारावास एवं 60,000 रु0 अर्थदण्ड	1
12	चांदपुर	459/18	379/411 भादवि	22.11.24	जघन्य	प्रत्येक को 03 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 04 हजार रु0 अर्थदण्ड	2
13	चांदपुर	828/16	5/25 आर्म्स एक्ट	22.11.24	अन्य	03 वर्ष कारावास की सजा व 2000 रु0 अर्थदण्ड	1
14	नगीना	299/12	2/3 गैंगस्टर एक्ट	27.11.24	अन्य	अभियुक्तगणों को 02-02 वर्ष का कारावास व 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	2
15	अफजलगढ	83/22	2/3 गैंगस्टर एक्ट	27.11.24	अन्य	अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
16	कोतवाली शहर	1668/0 8	4/25 आर्म्स एक्ट	28.11.24	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500 रु0 अर्थदण्ड	1
17	कोतवाली शहर	286/88	498 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट	28.11.24	अन्य	प्रत्येक को मा0 न्या0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1000 रु0 अर्थदण्ड	2
18	नजीबाबाद	381/96	25 आर्म्स एक्ट	28.11.24	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
19	कोतवाली देहात	45/200 0	25 आर्म्स एक्ट	29.11.24	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
20	रेहड़	69/15	25 आर्म्स एक्ट	29.11.24	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
21	बढापुर	192/21	427 भादवि	29.11.24	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
22	अफजलगढ	327/10	4/25 आर्म्स एक्ट	29.11.24	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0	1

						अर्थदण्ड	
23	अफजलगढ	34/02	25 आम्स एक्ट	29.11.24	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
24	अफजलगढ	510/02	25 आम्स एक्ट	29.11.24	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
25	चांदपुर	177/93	4/25 आम्स एक्ट	30.11.24	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
26	किरतपुर	379/21	8/22 एनडीपीएस एक्ट	30.11.24	जघन्य	01 वर्ष 02 माह कारावास की सजा व 2000/- रु अर्थदण्ड	1
27	हीमपुर दीपा	481/94	60/62 आब0 अधि0	30.11.24	अन्य	प्रत्येक को जेल में बिताई अवधि की सजा व प्रत्येक को 2000/- रु0 अर्थदण्ड	2





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 01.12.2024

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 335/24 धारा 191(2)/191(3)/125/109/352 बीएनएस व 3(1)ध,3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.08.2024 को वादी छोटे पुत्र तुलसी निवासी मौ0 लाडपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 17/18.08.2024 की रात्रि में अभियुक्तगणों 1- छोटु पुत्र नजाकत 2-आमिर पुत्र नसीर 3- सफदर पुत्र अकरम निवासीगण मौ0 लुकमानपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर आदि ने वादी के घर में आकर मारपीट की गयी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 335/24 धारा 191(2)/191(3)/125/109/352 बीएनएस व 3(1)ध, 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आमिर पुत्र नसीर निवासी मौ0 लुकमानपुरा कस्बा किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त छोटू पुत्र नजाकत निवासी मौ0 राधगान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आमिर पुत्र नसीर निवासी मौ0 लुकमानपुरा कस्बा किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 शिव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 364 लालू थाना किरतपुर जनपद बिजनौर